



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अक्टूबर 28, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 275 वाहनों का चालान किया गया तथा 13 वाहनों से 11500/रू० शमन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 32 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त समित पुत्र त्रियुगी नि० संगत थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 232/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त राजू सैनी पुत्र हरिचन्द्र नि० विशुनपुर थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 233/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता सोनरावती पत्नी रामकिशुन नि० बजही थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 पाउच देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 534/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्ता बिन्दू पत्नी गुडडू नि० बिलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 289/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त लल्लन पुत्र जीतन नि० रजौडा खुर्द थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 363/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर 2.अभियुक्त दुर्गेश पुत्र हरिशचन्द्र नि० रजौडा खुर्द थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 364/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नथई पुत्र प्रभु नि० कोहरगडडी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 122/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

आर्म्स अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त रोहित गुप्ता पुत्र राजेश नि0 आजाद नगर थाना निचलौल के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 532/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर 2. पप्पू पुत्र मिठाई नि0 जिगिनिहवा थाना निचलौल के कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 533/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 04 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 27/28.10.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 41 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।